

अणुशक्ति भवन / Anushakti Bhavan,
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग / C.S.M. Marg,
मुंबई / Mumbai - 400 001
इ-मेल / Email: sectcord@dae.gov.in

No.16/27/2020-SCS/E-File/

Dated:- 07 - 08 - 2020


पुष्ठांकन / ENDORSEMENT

विषय /: **National Apprenticeship Promotion Scheme - Reg**
Subject:

उपरोक्त विषय पर कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 18/02/2020 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या MSDE/2020/1587 की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of D.O. Letter No. MSDE/2020/1587 dated 18/02/2020 received from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, New Delhi on the above mentioned subject is forwarded for information and necessary action.

संलग्न : यथोपरि / Encl.: 1 Pages.


(न. ज. खानविलकर / N. J. Khanvilkar)
अनुभाग अधिकारी / Section Officer
(022 - 22862661)

पत्र के सभी संघटक इकाईयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक प्रधान।
All Administrative Heads of Constituent Units/PSUs/Aided Institutions of DAE.

प्रतिलिपि / Copy also to:

1. पत्र के सभी अधिकारी एवं अनुभाग / All Officers & Sections in DAE Secretariat.- DARPAN
2. Head, CISD(DAE)- With a request to upload the same in DAE Website under SCS Corner.

महेन्द्र नाथ पाण्डेय
Mahendra Nath Pandey



मंत्री
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार
Minister
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
Government of India

अ0शा0पत्र संख्या/एमएसडीई/2020/.....1587
दिनांक : 18 फरवरी, 2020

प्रिय डॉ0 जितेन्द्र सिंह जी,

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन का अनुसरण करते हुए मांग संचालित उद्योग से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं।

एमएसडीई अपने प्रमुख कार्यक्रम " National Apprenticeship Promotion Scheme" (एनएपीएस) के माध्यम से युवाओं के बीच शिक्षता को बढ़ावा दे रहा है ताकि उन्हें कार्यशीलता की वास्तविक दुनिया के लिए तैयार किया जा सके।

हाल ही में 04 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित सचिव समूहों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया कि शिक्षता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अधिक-से-अधिक सीपीएसयू को इस अभियान में शामिल करें क्योंकि यह सबसे बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हैं तथा इनके पास उच्च श्रेणी के आवश्यक संसाधन हैं।

इस संबंध में, मैं यह पत्र आपको इस अनुरोध के साथ लिख रहा हूँ कि आप अपने मंत्रालय में शिक्षता से संबंधित विभाग को जरूरी निर्देश जारी करें ताकि आप के मंत्रालय के अधीन सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) शिक्षता अधिनियम 1961 और शिक्षता नियम 1992 से संबंधित आवश्यक कार्य सुनिश्चित करें।

इसी से संबंधित विषय पर मेरे मंत्रालय के सचिव द्वारा भी आपके मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा गया है जिसमें सभी सीपीएसयू के अध्यक्षों/ प्रबंध निदेशकों को शिक्षता अधिनियम, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है ताकि अधिक-से-अधिक शिक्षुओं को नियोजित किया जा सके।

अतः मैं आशा करता हूँ कि आप के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से सभी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिक्षता अधिनियम 1961 का अनुसरण करते हुए शिक्षुओं को नियोजित करने की दिशा में निर्धारित न्यूनतम 2.5% दर का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर रहेंगे।

सादर,

आपका,

(डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय)

डॉ0 जितेन्द्र सिंह,
माननीय परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कार्मिक,
लोक शिकायत तथा पेंशन, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री
भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स,
नई दिल्ली - 110011

5228937



कमरा नं. 516, पंचम तल, 'ए' विंग श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
Room No. 516, 5th Floor, 'A' Wing, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-01 Tel.: 011-23465801 Fax : 011-23465825
निवास : 9, त्यागराज मार्ग, नई दिल्ली / 9, Tyagraj Marg, New Delhi-110011
दूरभाष/Phone : +011-23018556, 23018558, मोबाईल/Mobile : +91-9415023457